

## प्रारूप-झ (संलग्नक-9)

### अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण

यूआईडी संख्या: UPFS/2024/116802/SLP/SULTANPUR/847/CFO

दिनांक: 06-05-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **STELLA MARIS CONVENT SECONDARY SCHOOL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **575 566A 569 570 575 576 594 623 545B, NARAYANPUR, SULTANPUR** तहसील - **SADAR** जिसमें

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
STELLA MARIS CONVENT SECONDARY SCHOOL	3	0	10.20 mt.

तथा प्लॉट एरिया **20190 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **STELLA MARIS CONVENT SECONDARY SCHOOL** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थायें एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण द्वारा दिनांक **08-05-2024** को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **Sr. Roseline Clara** के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्रगत भवन को अग्नि एवा जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate)(एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **08-05-2024** से **08-05-2027** तक **3** वर्षों के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

**Note :** भवन में ढाँचागत एवं अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था हेतु लो राईज भवनों एवं मिक्स आक्यूपेन्सी की अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु शासनादेश संख्या: 18/छ:-पु0-2022/905(34) /2016 टी0सी0 दिनांक: 07.01.2022 के दिशा निर्देशों व एन0बी0सी0-2016 का अक्षरशः पालन करना अनिवार्य होगा। बिजली की वायरिंग, मेन पैनल एवं बिजली के लोड इत्यादि से सम्बन्धित समय-2 पर विद्युत विभाग से निरीक्षण कराकर विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अतिआवश्यक है। भवन में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने की जिम्मेदारी भवन प्रबन्धन की होगी तथा भवन के ढाँचागत सुरक्षा व्यवस्था हेतु सम्बन्धित विभाग से प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक है।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"



**मुख्य अग्निशमन अधिकारी**

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

**SANJAY SHARMA**

78010AB10BCCF88453A7F5906114FB583C44F922

08-05-2024

निर्गत किये जाने का दिनांक : **08-05-2024**

स्थान : **SULTANPUR**

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.